UPBJ010060202026

न्यायालय District Judge, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sanjay Kumar.VII), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01997**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– 2327/2026

निपेन्द्र उर्फ नृपेन्द्र आदि बनाम उ0प्र0 सरकार

एवं

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2450/2026

नागेन्द्र कुमार आदि बनाम सरकार

मु0अ0सं0 144/2026

धारा–333, 352, 115(2), 110, 118(1) भा.न्या.सं.

थाना– कोतवाली देहात, जिला बिजनौर।

दिनांकः– 03–08–2026

उपरोक्त दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एक ही मुकदमा अपराध संख्या 144/2026 से सम्बन्धित है, अतः सुविधा की दृष्टि से दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण **निपेन्द्र उर्फ नृपेन्द्र पुत्र श्री दयाराम, उदित पुत्र निपेन्द्र, नागेन्द्र कुमार एवं अभिषेक पुत्रगण श्री आजादवीर सिंह निवासीगण ग्राम विशनोईवाला थाना कोतवाली देहात, जिला बिजनौर** की तरफ से पृथक–पृथक रूप से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों व केस डायरी का अवलोकन किया।

ये अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उपरोक्त प्रकरण में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया कि उन्हें उपरोक्त मामले में पार्टीबंदी की रंजिश की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना दिनांक 18.06.2026 को समय 06.40 बजे की एफ.आई. आर. दिनांक 19.06.2026 को समय 00.15 बजे वादिनी द्वारा करना बताया गया है। प्रार्थीगण घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। वादिनी व उसके परिवार के लोग नागेन्द्र के परिवार से रंजिश रखते हैं। सुमित व रूकमेलश देवी ने परिवार के साथ मिलकर राकेश देवी के साथ जानलेवा हमला कर मारपीट की। थाना पुलिस ने उनकी रिपोर्ट न लिखकर प्रार्थीगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज की है। प्रार्थीगण से कोई बरामदगी नहीं है। प्रार्थीगण पर धारा 333, 110 बी.एन.एस. का कोई अपराध नहीं बनता है। सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। उक्त वाद क्रॉस केस है। प्रार्थीगण को सम्बन्धित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना है। अतः प्रार्थीगण द्वारा दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस

डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण पर वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर वादिनी मुकदमा एवं उसके पुत्र सुमित के साथ लाठी डंडे व धारदार हथियार से मारपीट करने तथा उन्हें गाली गलौज करने का आरोप है।

अभियुक्तगण द्वारा की गयी कथित मारपीट से वादिनी के 06 चोटें तथा सुमित के तीन चोटें आना बताया गया है। चोटिल सुमित को आयी सभी चोटें साधारण प्रकृति की बतायी गयी हैं तथा वादिनी/चोटिल रूकमेश को आयी चोट साधारण प्रकृति की बताते हुए चोट नं05 को निगरानी में रखकर एक्सरे कराए जाने पर कोई फ्रेक्चर नहीं पाया गया तथा पूरक आख्या के अनुसार चोट नं05 भी साधारण प्रकृति की पायी गयी है। उपरोक्त मामले में वर्तमान में विवेचना प्रचलित है तथा केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि विवेचक द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने हेतु दबिश दी जा रही हों अथवा अभियुक्तगण फरार हों। अभियुक्तगण का पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है। प्रस्तुत अपराध सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था–**सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन आदि 2022(3) क्राइम्स 290 (एस0सी0)** में दिये गये विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में व प्रकरण के तथ्यों एवं प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किये जाते हैं। अभियुक्तगण प्रत्येक को **पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये** के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो–दो प्रतिभू निम्न शर्तों के अधीन दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1– अभियुक्तगण मामले से संबंधित किसी भी साक्षी को डरायेंगे व धमकायेंगे नहीं।

2– अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

4– अभियुक्तगण न्यायालय में आरोप विरचन की तिथि, बयान धारा–313 दं0प्र0सं0/351 बी0एन0एस0एस0 के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित न्यायालय/विवेचक अभियुक्तगण को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**2450/2026** की पत्रावली में नियमानुसार संलग्न की जाए।

(संजय कुमार–VII)
सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।
03.08.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.08.03 17:18:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court